संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 17-09-2021**

आज दिनांक 17.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सकुशल अपहृता बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री अनिल कुमार दुबे** के नेतृत्व में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 420 / 2021 से संबन्धित अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द। विदित हो कि उक्त अपहृता के अपहरण के संबन्ध में अपहृता के पिता की लिखित तहरीर पर दिनांक 23.08.2021 को थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 420 / 2021 धारा 363 / 366 120(B) / 504 / 506 भादवि पंजीकृत किया गया था महिला संबन्धी अपराध के दृष्टिगत थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज उक्त अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया, इस सराहनीय कार्य हेतु परिजनों द्वारा थाना धनघटा पुलिस व संतकबीरनगर पुलिस का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया गया।

बरामद करने वाली टीम - उ0नि0 श्री राजाराम यादव, कां0 विक्की कुमार शाह, म0कां0 पूजा गौड़।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व 12 शीशी देशी शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1- रामदरश पुत्र रामलगन 2- पतिराम पुत्र रामदरश निवासी हरिवंशपुर थाना धनघटा 3 – अमिताभ चौहान पुत्र नन्दू चौहान निवासी चपरापूर्वी टोला खाले पुरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 458 / 2021, 459 / 2021 व 460 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री दीपक कुमार दुबे, उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, कां0 उदय प्रताप सिंह, कां0 पियुष सिंह, कां0 राजू गौड़, कां0 संदीप कुमार।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 12 शीशी (200 मिली0) अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामरक्षा पुत्र तिलकधारी शर्मा निवासी लोहरसन थाना बेलहकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।.

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- हे0कां0 धर्मनाथ यादव, कां0 वीरबहादुर यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 550 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 550 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त नाम पता सुभाष पथरकट्ट पुत्र जोगेन्दर निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को तिनहरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 169 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा प्रभारी चौकी मुखलिशपुर, हे0कां0 रामप्रताप यादव, कां0 संजय प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्तपाल– पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 04355 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति के घायल (बाबूराम पुत्र राम नयन निवासी ग्राम धौरहरा) के होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस से प्रा0स्वा0 केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 हरिशंकर गौड़, आरक्षी जितेन्द्र चौधरी, हो0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनो से 40000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनो से 40000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।